प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022

प्र.ई.रि.सं. 391/22 दिनांक 30/09/2022

2. (1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7..........

(2) अधिनियम.......................... धारायें ....

(3) अधिनियम...................... धारायें....................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.- (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........586..............समय.....06:00 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन :– गुरूवार, दिनांक 29.09.2022, समय 4.40 पी0एम0

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 29.09.2022, समय 11.05 ए0एम0

4. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 35 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से

(ब) पता – सुरज्या भैरू मोड़ केरोद तिराहा, पुलिस थाना बनेठा टोंक ....बीट सं....जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ). नाम :– **श्री हनुमान गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी केरोद पोस्ट कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक**

(ब). राष्ट्रीयता :– भारतीय

(स). पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.

(द). व्यवसाय :– खेती ।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री सुरेश सिंह चौधरी पुत्र श्री देवालाल जाट उम्र 45 साल निवासी बगड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक हाल प्लाट नम्बर 17, शिवनगर महादेवाली, टोंक हाल पदस्थापन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक**

8 - परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9 - चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 10,000/– रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 10,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक

विषय :– रिश्वत लेते हुये को पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं हनुमान गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी केरोद पोस्ट कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक का निवासी हुं। हमारे परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है, उक्त विवाद को लेकर दिनांक 18.09.2022 को हमारे आपस में झगड़ा हो गया था, जिस पर

1

रिश्ते में मेरे ताउजी के परिवार के सदस्यों ने मिलकर मेरे छोटे भाई कृपाशंकर के विरूद्ध पुलिस थाना बनेठा में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी जांच श्री सुरेश चौधरी सहायक उप निरीक्षक कर रहे है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बाद गांव वालों की समझाईस पर हम दोनों परिवारों के बीच राजीनामा हो जाने से हमने मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा तो सुरेश जी बोले की तुम्हारे कहने से कोई कार्यवाही बन्द नहीं होगी, यदि तुम्हें कार्यवाही बन्द करवानी है तो 15 हजार रूपये लेकर आना वरना में कृपाशंकर को गिरफ्तार करूगां। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। सुरेश जी स0उ0नि0 से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
हनुमान गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी
केरोद पोस्ट कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक मो0न0
6367971492

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 29.09.2022 समय 11.05 ए0एम0 पर श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को अपने कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री हनुमान गुर्जर पुत्र श्री श्योजीलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी केरोद पोस्ट कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक से आपस में परिचय करवाते हुये, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देते हुये, अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। परिवादी हनुमान गुर्जर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "हमारे परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है, उक्त विवाद को लेकर दिनांक 18.09.2022 को हमारे आपस में झगड़ा हो गया था, जिस पर रिश्ते में मेरे ताउजी के परिवार के सदस्यों ने मिलकर मेरे छोटे भाई कृपाशंकर के विरूद्ध पुलिस थाना बनेठा में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी जांच श्री सुरेश चौधरी सहायक उप निरीक्षक कर रहे है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बाद गांव वालों की समझाईस पर हम दोनों परिवारों के बीच राजीनामा हो जाने से हमने मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा तो सुरेश जी बोले की तुम्हारे कहने से कोई कार्यवाही बन्द नहीं होगी, यदि तुम्हें कार्यवाही बन्द करवानी है तो 15 हजार रूपये लेकर आना वरना में कृपाशंकर को गिरफ्तार करूगां। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। सुरेश जी स0उ0नि0 से मेरी किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" प्रार्थना पत्र परिवादी हनुमान गुर्जर को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलेखनी में लिखा होकर स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मेरे व मेरे बड़े पिताजी (ताउजी) के परिवार में जमीनी विवाद चल रहा है, उक्त विवाद को लेकर करीब 10–12 रोज पहले हमारे बीच झगड़ा हो गया था। जिस पर ताउजी के बेटे महेन्द्र गुर्जर की पत्नि कविता ने मेरे छोटे भाई कृपाशंकर के विरूद्ध पुलिस थाना बनेठा में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसकी जांच श्री सुरेश चौधरी सहायक उप निरीक्षक कर रहे है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बाद गांव वालों की समझाईस पर हम दोनों परिवारों के बीच राजीनामा हो गया, राजीनामा होने के बाद हम दोनों पक्षों ने सुरेश जी को मुकदमें में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा तो सुरेश जी नाराज हो गये तथा हमें बोले की तुम्हारे कहने से कोई कार्यवाही बन्द नहीं होगी, यदि तुम्हें कार्यवाही बन्द करवानी है तो 15 हजार रूपये लेकर आना वरना में कृपाशंकर को गिरफ्तार करूगां। मैं सुरेश जी स0उ0नि0 को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी सुरेश जी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन बकाया नही है।" परिवादी ने स्वयं के आधार

कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से समय 11.30 ए0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि का समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही पुलिस थाना बनेठा पर जाकर सुरेश जी स0उ0नि0 से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा।" अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया, मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर परिवादी एवं जलसिंह को समय 11.45 ए0एम पर पुलिस थाना बनेठा रवाना किया गया। समय 1.40 पी0एम0 पर पर कानि0 जलसिंह ने जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी हनुमान गुर्जर ने आरोपी सुरेश चौधरी से रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता कर ली है, आरोपी ने रिश्वत राशि 2 घण्टे बाद ही देनी है। जो वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है, मैं व परिवादी यहां से रवाना होकर कार्यालय ही आ रहे है। जिस पर समय 1.55 पी0एम0 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से खनि–अभियन्ता, खान एवं–भू विज्ञान विभाग टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री भूपेन्द्र कुमार एएओ को रवाना किया गया। समय 2.20 पी0एम0 पर भूपेन्द्र कुमार मय स्वतंत्र गवाह 1– श्री भगवान सहाय गुर्जर कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक खनि0 अभियन्ता, टोंक 2–श्री मनोज वर्मा कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता (सतर्कता) खनिज विभाग टोंक उपस्थित आये। समय 2.30 पी0एम0 पर कानि0 जलसिंह मय परिवादी श्री हनुमान गुर्जर के उपस्थित कार्यालय आया, परिवादी ने बताया कि "एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर मैं व जलसिंह जी पुलिस थाना बनेठा के पास पहुंचे, तभी सुरेश जी स0उ0नि0 का मेरे पास फोन आया तथा उन्होनें स्वयं को सुरेली स्कूल में होना बताया, जिस पर हम दोनों वहां से रवाना होकर सुरेली स्कूल पहुंचे, जहां पर जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालूकर मुझे दे दिया तथा वह स्कूल के बाहर ही रूक गये, मैं वहां से रवाना होकर सुरेश जी स0उ0नि0 के पास पहुंचा तथा मुकदमें में मेरे भाई कृपाशंकर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मेरे भाई कृपाशंकर को जमानत भरकर छोड़ने की एवज में 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर राजी हुआ है। सुरेश जी आज ही 2–3 घण्टे बाद रिश्वत लेने हमारे घर केरोद ही आयेगे। उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है, मैंनें वापस बाहर आकर वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को दे दिया, तथा हम वहां से रवाना होकर टोंक आये है।" कानि0 जलसिंह ने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि "मैनें वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवादी को सुपुर्द किया तथा मैं बाहर ही परिवादी के इंतजार में खड़ा रहा, कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैनें बन्द कर अपने पास रख लिया तथा वहां से रवाना होकर टोंक आये है।" कानि0 द्वारा पेश वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। समय 2.50 पी0एम0 पर दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी–अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2022 गवाहान को पढ़ाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादी व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 3.10 पी0एम0 पर परिवादी हनुमान गुर्जर को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा पेश उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त

नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री भूपेन्द्र कुमार सहा0प्रशा0अधि0 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 10,000/--रूपये को परिवादी के शरीर पर पहने हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी हनुमान को रिश्वत लेन-देन का ईशारा अपने सिर पर साफी बांधने/अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 3.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री हनुमान गुर्जर एवं जलसिंह को परिवादी की मोटर साईकिल से, मोहम्मद जुनैद अख्तर हैड कानि0 व स्वतंत्र गवाह मनोज वर्मा को मोहम्मद जुनैद की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ सर्वश्री मनोज कुमार हैड कानि0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256, अजीत सिंह कानि0 56 एवं स्वतंत्र गवाह श्री भगवान गुर्जर तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप प्रिन्टर के प्राईवेट वाहन से केरोद पुलिस थाना बनेठा के लिए रवाना हुआ। समय 4.30 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के केरोद गांव के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी ने आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी की तो आरोपी का परिवादी के घर पर ही होना ज्ञात हुआ, जिस पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री जलसिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालूकरवाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी का स्वयं की मोटर साईकिल से आरोपी को रिश्वत राशि देने के लिए घर पर रवाना किया गया। हैड मोहम्मद जुनैद, गवाह श्री मनोज वर्मा एवं जलसिंह को मोहम्मद जुनैद की मौटर साईकिल से परिवादी के पीछे–पीछे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 4.33 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमारियान स्टाफ परिवादी के पीछे–पीछे उनके निवास स्थान के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी मोटर साईकिल को साईड में खड़ी करके मकान के अन्दर चला गया, मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 4.35 पी0एम0 पर परिवादी के मकान से सहायक उप निरीक्षक पुलिस की वर्दी पहने हुये एक व्यक्ति बाहर निकला, जिसने परिवादी हनुमान को भी अपने साथ अपनी सरकारी मोटर साईकिल पर बैठा लिया तथा वहां से रवाना हो गया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्टाफ मय स्वतंत्र गवाह के उक्त वर्दीधारी व्यक्ति की मोटर साईकिल के पीछे–पीछे रवाना हुआ, समय 4.39 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमारियान के सुरज्या गैरू मोड़, तिराहा केरोद के पास पहुंचा। समय 4.40 पीएम पर परिवादी श्री हनुमान गुर्जर पैदल चलते हुये नजर आया तथा परिवादी ने अपने सिर पर साफी बांधकर रिश्वत प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचा, तो परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये, सड़क पर मोटर साईकिल पर पुलिस की वर्दी में जाते हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि **"वो ही सुरेश सिंह जी एएसआई थे, जिन्होनें मेरे से पैसे ले लिये तथा मुझे उतारकर रवाना हो गये है।"** जिस पर परिवादी को हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उक्त मोटर साईकिल का पीछा कर मोटर साईकिल आरजे--26--एएजे -1744 को रूकवाया एवं उक्त वर्दीधारी व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश सिंह चौधरी पुत्र श्री देवालाल जाट उम्र 45 साल निवासी बगड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक होना बताया। जिस पर सुरेश सिंह स0उ0नि0 को परिवादी से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि **"साहब पैसे मेरे जेब में रखे है। मेरे से गलती हो गयी।"** जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि **"हमारे जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दिनांक 18.09.2022 को हमारे बीच झगड़ा हो गया था, उक्त झगड़े की वजह**

से मेरे बड़े पिताजी के लड़के महेन्द्र गुर्जर ने अपनी पत्नि कविता के नाम से पुलिस थाना बनेठा में मेरे भाई कृपाशंकर के खिलाफ छेड़छाड का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसकी जांच यह सुरेश जी एएसआई साहब कर रहे थे, हमारे बीच राजीनामा हो चुका है, फिर भी सुरेश जी कृपाशंकर को गिरफ्तार करने का डर दिखा कर 15 हजार रूपये की मांग कर रहे थे, आज दिन में जब मैं इनसे मिला तथा इनसे कहा कि 10 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है, मैं आपको 10 हजार रूपये ही दे सकता हुं, जिस पर इन्होनें 10 हजार रूपये लेने की हां कर दी, इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 10 हजार रूपये दिये है, जो इन्होंने लेकर गिनकर अपनी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट की जेब में रख लिये।" इस पर आरोपी श्री सुरेश सिंह स0उ0नि0 से पूछा तो उसने बताया कि " श्रीमति कविता गुर्जर पत्नि श्री महेन्द्र गुर्जर ने दिनांक 19.09.2022 प्रकरण संख्या 135/2022 धारा 354,376,511,323,506 भा0द0स0 दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, उक्त प्रकरण में इन दोनों पक्षो के बीच कोई राजीनामा हो गया हो तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैनें तो परिवादियां श्रीमति कविता के 164 सीआरपीसी में बयान करवाये थे, जिसमें वो एफआईआर के आरोपों से मुकर गयी थी, उक्त प्रकरण के अनुसंधान से आरोपी श्री कृपाशंकर गुर्जर पुत्र श्री श्योजी गुर्जर के विरूद्ध धारा 323,341 भा0द0स0 का अपराध प्रमाणित हो रहा था, उक्त धाराओं में जमानती अपराध होने से मैं कृपाशंकर को जमानत भरवाने के लिए बार–बार बुला रहा था, लेकिन वह नहीं आ रहा था। मैनें हनुमान गुर्जर से कोई रिश्वत की मांग नहीं की, इसने ही आगे से मुझे पैसे दिये थे।" इस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "सुरेश जी झुंठ बोल रहे है, मैनें इनको हमारे बीच हुये राजीनामा के बारे में बता दिया था, लेकिन इन्होने कहा कि यदि तु मेरे को 15 हजार रूपये नहीं देगा तो मैं तेरे भाई कृपाशंकर को गिरफ्तार करूंगा, जिस पर मैनें मांग सत्यापन के समय आज दिन में इनसे बात की तो इन्होनें 10 हजार रूपये लेने के लिए कहा। इनकी मांग के अनुसार ही आज यह रूपये लेने हमारे घर पर आये थे, जहां पर मेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली तथा कुछ कागजों पर मेरे व मेरे भाई के हस्ताक्षर करवाये तथा मुझे अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर गांव से बाहर सुरज्या भैरू मोड़ पर लेकर आ गये, जहां पर इन्होनें मेरे से 10 हजार रूपये लेकर मेरे को वही पर छोड़ दिया तथा खुद अपनी सरकारी मोटर साईकिल से रवाना हो गये, मैनें उसी समय आपको देखते हुये रिश्वत राशि का ईशारा कर दिया। मैनें इनके मांग के अनुसार ही इन्हें 10 हजार रूपये रिश्वत के दिये है, यदि मैं इन्हें 10 हजार रूपये नहीं देता तो यह मेरे भाई कृपाशंकर को गिरफ्तार कर लेते।" इस पर आरोपी श्री सुरेश सिंह स0उ0नि0 चुप रहा। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी सुरेश सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का झांईदार गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी सुरेश सिंह के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का झांईदार गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री भगवान

गुर्जर से लिखाई गयी तो 500–500 रूपये के कुछ नोट दिखाई दिये, जिन्हें दोनों गवाहान से गिनवाये तो 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5BC	290122
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9UP	631852
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3DE	252945
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8SH	358683
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1KV	596132
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6KV	869226
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8NA	854190
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3TT	777037
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4BQ	677145
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7HA	396031
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0RR	015921
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1QC	960833
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9BW	229195
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8MB	090834
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0RM	780560
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3ND	086369
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1VH	958860
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4ES	861816
19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4PK	050969
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0HP	339721

उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। घटनास्थल आम रास्ता होने तथा भीड़भाड़ की सम्भावना को देखते हुये, घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर आरोपी की सरकारी मोटर साईकिल को गवाह श्री मनोज कुमार को सुपुर्द कर साथ चलने हेतु हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय आरोपी के रवाना होकर इस समय पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक पहुच अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की गयी। इसके पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। आरोपी पहनने हेतु एक अन्य शर्ट की व्यवस्था करवाकर आरोपी की पहनी हुयी वर्दी की शर्ट को ससम्मान उतरवाकर शर्ट की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी, को उलटवाकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एस 1, एस 2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त शर्ट के जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–एस अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लेन–देन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो लेन–देन वार्ता रिकार्ड में रिकार्डर का थोड़ी देर चलने के बाद बन्द होना पाया गया। आरोपी को परिवादी से सम्बन्धित पत्रावली के सम्बन्ध में पूछा गया उसने प्रकरण संख्या 135/22 धारा 354, 376, 511, 323, 506 भा0द0स0 की पत्रावली पेश की, पत्रावली के अवलोकन अनुसार उक्त प्रकरण दिनांक 19.09.2022 को पंजीबद्ध हुआ है, प्रकरण में परिवादिया कविता, महेन्द्र कुमार के 161 सीआरपीसी में कथन

करवाये जा चुके है परिवादियां के 164 सीआरपीसी के कथन करवाये जा चुके है। कृपाशंकर के विरूद्ध धारा 341,323 में जमानती नाथूलाल पुत्र बजरंग लाल गुर्जर द्वारा जमानत भरवाई हुयी है। प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मूल पत्रावली एवं सरकारी मोटर साईकिल आरजे--26--एराजे--1744 श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि0 215 पुलिस थाना बनेठा को सुपुर्द की गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 07.50 पी0एम0 पर** आरोपी श्री सुरेश सिंह चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हरब कायदा गिरफ्तार किया गया। **समय 8.00 पी0एम0 पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी सुरेश सिंह चौधरी** एवं समस्त **जब्तशुदा आर्टिकल्स को साथ लेकर पुलिस थाना बनेठा से रवाना होकर आरोपी के** रिहायशी मकान **की खाना तलाशी करते हुये समय 9.30 पीएम पर मय हमराहियान के एसीबी** चौकी **टोंक पहुंचा। समय 9.45 पी0एम0 पर** सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई, नोट दर्ज है। दिनांक 29.09.2022 समय 11.30 पी0एम0 पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 29.09.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुना गया, लेन–देन वार्ता के दौरान वॉयस रिकार्डर कुछ समय चलने के बाद अचानक बन्द होना पाया, अतः लेन–देन के समय जितनी वार्ता दर्ज हुयी उक्त दर्ज वार्ता को सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई। दिनांक 30.09.2022 को **समय 12.05 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। **समय 12.25 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 16–16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 12.40 ए0एम0** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया, **समय 01.00 ए0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स बतौर वजह सबूत जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि0 32 के जमा मालखाना करवाया गया। **समय 1.15 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री सुरेश सिंह चौधरी सहायक उप निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री हनुमान गुर्जर से उसके भाई कृपाशंकर के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 135/2022 धारा

354,376,511,323,506 भा0द0सं0 के अनुसंधान में मदद कर गिरफ्तार नहीं करने की एवज में वक्त पर रिश्वत 10 हजार रूपये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही 10,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ में ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी वर्दी की शर्ट की दाहिनी जेब में रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपी के दोनों हाथों एवं शर्ट की जेब का धोवण हल्का गुलाबी होना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री सुरेश सिंह चौधरी पुत्र श्री देवालाल जाट उम्र 45 साल निवासी बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक हाल प्लाट नम्बर 17, शिवनगर महादेवाली, टोंक हाल पदस्थापन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बनेठा जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पारित कार्यवाही सादर प्रेषित है।

(नरेन्द्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश सिंह चौधरी, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 391/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/9/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3409-13 दिनांक 30.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

30/9/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।